<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर</u>

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–157/2026

C.N.R.N ०–UPRP01–000579–2026

रजि० सं०–271/2026

1. राशिद उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र श्री भोला शाह निवासी ग्राम कनोर थाना बाजपुर जिला ऊधमसिहंनगर (उत्तराखण्ड)
2. नवीजान उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र श्री नूर हसन निवासी मौहल्ला अब्दुल्लागंज थाना उझयानी जिला बदायूं उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

<u>आदेश</u>

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **राशिद** व **नवीजान** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–13/2026 धारा–303(2), 317(2) बी०एन०एस० व 26, 41, 42, 52 वन अधिनियम थाना मिलक खानम जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जाहिद अली का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं थाने की आख्या व केस डायरी का अवलोकन किया।

3. अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 17.02.2026 को वन दरोगा अतुल कुमार अन्य वन पुलिस कर्मियों के साथ अपने क्षेत्र में वन सुरक्षा में मामूर थे कि मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक रजि०नं०–MH14LL6602 खैर की प्रतिबन्धित लकड़ी को गदरपुर मार्ग की ओर ले जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर वह मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचे तो वहां से ट्रक निकल चुका था, उसका पीछा किया तथा वन क्षेत्राधिकारी को दूरभाष पर सूचित किया, ताकि ट्रक को आगे रोक लें, लेकिन ट्रक तेजी से होकर रामपुर सीमा से बाहर निकल गया तो वन क्षेत्राधिकारी स्वार रेंज के निर्देशन में उन्होने ट्रक को रोकने हेतु अपने विभाग के उच्चधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क किया तथा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप उन्होने ट्रक का पीछा किया, ट्रक पंजाब सीमा में घुसकर शम्भू रजपुरा जाकर एक गोदाम में रूक गया कि समय लगभग 06.50PM पर टार्च की रोशनी में देखा तो ट्रक की कन्डक्टर साईड से एक अभियुक्त उतरा जिसका नाम राशिद तथा चालक सीट से एक अभियुक्त उतरा जिसका नाम नवीजान बताया, दोनों अभियुक्तों को मौके पर पकड़ लिया, ट्रक के अन्दर क्या भरा है पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्होने जगह–जगह से यह लकड़ी चुराई है, जो प्रतिबन्धित खैर की लकड़ी है तथा तिरपाल खुलवाकर देखा तो ट्रक में छोटे–छोटे टुकड़ों में खैर प्रकाष्ठ छिला भरा था और पूछने पर बताया कि वह पहले भी दो ट्रक खैर की लकड़ी लेकर आये थे, जो यही पड़ी है, आसपास टार्च की रोशनी से देखा तो प्रतिबन्धित खैर की लकड़ी का ढेर लगा था, जिसके पास दो मोटर साईकिल खड़ी थी, जिनके बारे में बताया कि इन मोटर साईकिल पर व्यक्ति निगरानी करते है तथा निगरानी करने वाले व्यक्ति का नाम इस्मायली व आसिम बताया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि उन्हें रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक 18.02.2026 से जेल में निरूद्ध है।

घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। कथित ट्रक से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह पंजाब से मजदूरी करके अपने घर बाजपुर व बदायूं आ रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोककर उपरोक्त झूंठे मुकदमे में फंसा दिया। वह गरीब व्यक्ति हैं तथा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कथित ट्रक में 450 कुन्तल खैर की लकड़ी दर्शायी गयी है, परन्तु उस खैर की लकड़ी का कोई आकार, कितने वोटे, कितने इंच, कितने सेंटीमीटर मोटे, कितने सेंटीमीटर लम्बे थे, नहीं दर्शाया गया है। उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। उपरोक्त अपराध में 07 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण कथित ट्रक में वन विभाग की प्रतिबन्धित खैर की लकड़ी चोरी से काटकर ले जाते हुये पुलिस द्वारा पकड़े गये है तथा लगभग 450 कुन्तल प्रतिबन्धित खैर की लकड़ी बरामद हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को कथित ट्रक में वन विभाग की प्रतिबन्धित खैर की लकड़ी चोरी से काटकर ले जाते हुये पुलिस द्वारा गिरफतार किया जाना तथा लगभग 450 कुन्तल प्रतिबन्धित खैर की लकड़ी बरामद होना दर्शाया गया है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण हैं। मामला आर्थिक एवं पर्यावरण अपराध से सम्बन्धित है। मामला गम्भीर प्रकृति का है।

7. मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

8. तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 06–03–2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.03.06 16:18:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court